संख्या-119 /2026/2172/26-3-2026- 2005153

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर, 2026**

विषयः-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वचनबद्ध देयता धनराशि रू0 51.39 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए लिमिट निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-119/ज0जा0वि0/2026-27 दिनांक 04.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्ष - 2225-02-796-01-0119-42- अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि में से धनराशि रू0 51.39 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए स्वीकृत धनराशि की एक्सपेन्डिचर लिमिट निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्ष - 2225-02-796-01-0119-42- अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा पी0एम0यू0 की वित्तीय वर्ष 2025-26 की वचनबद्ध देयता की पूर्ति हेतु निर्गत मदर सेक्शन की धनराशि रू0 51.39 लाख (रुपये इक्यावन लाख उनतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2026-27 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26.09.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक

हो, उनमें ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस सम्बन्ध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस सम्बन्ध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्रस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों / गाईडलाइन में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(10) केन्द्रपुरोनिधानित योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि सीधे योजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में खुले खाते में प्राप्त होगी। अत: योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(11) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों /घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(12) समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अत: SNA स्तर पर पुन: परीक्षण की आवश्कता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 51,39,000/- (रुपये इक्यावन लाख उनतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 लेखाशीर्षक 2225-02-796-01-0119-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26.09.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-117-X-2026-27- दिनांक 01-09-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 21-09-2026 18:01:11

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

पृ0 संख्य एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
5- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
10-मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
11-निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
12-गार्डफाइल

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।